आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड
नई दिल्ली

सूचना

दिनांक: 07-07-2023

विषय: एनबीईएमएस संयुक्त प्रत्यायन प्रोग्राम

कृपया ध्यान दें: समस्त आवेदक अस्पताल/संस्थान/मेडिकल कॉलेज

आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) विभिन्न ब्रॉड और सुपर स्पेशलिटी तथा फेलोशिप पाठ्यक्रमों में डीएनबी/DrNB/एफएनबी/डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संचालन हेतु अस्पतालों/संस्थानों को प्रत्यायित करता है। प्रत्यायन विभाग वर्ष में दो बार जनवरी/फरवरी और जुलाई/अगस्त में फ्रेश/नवीनीकरण प्रत्यायन हेतु आवेदन आमंत्रित करता है।

कई अस्पताल पीजी प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अच्छी सुविधाओं और आधारिक संरचना के बावजूद एनबीईएमएस प्रत्यायन प्राप्त करने में विफल रहते हैं क्योंकि वे एनबीईएमएस द्वारा निर्दिष्ट कुछ न्यूनतम प्रत्यायन मानदंडों को पूरा करने में विफल रहते हैं। अस्पतालों के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने और उन्हें पीजी प्रशिक्षण देने का अवसर प्रदान करने के लिए, एनबीईएमएस द्वारा अस्पतालों के संयुक्त प्रत्यायन की एक योजना को अनुमोदित किया गया है।

A. संयुक्त प्रत्यायन के उद्देश्य:

i. संसाधन प्रयोग
ii. केस लोड और केस मिक्स वितरण
iii. प्रशिक्षण प्रोग्राम की गुणवत्ता को उन्नत करना
iv. वित्तीय साझाकरण

B. अनुप्रयोज्यता:

संयुक्त प्रत्यायन की अवधारणा केवल ब्रॉड-स्पेशलिटी (डीएनबी पाठ्यक्रम) तक ही सीमित होगी।

C. .कौन से अस्पताल शामिल हो सकते हैं:

संयुक्त प्रत्यायन हेतु चार प्रकार के विभिन्न संस्थान सहयोग कर सकते हैं:

i. सरकारी अस्पताल से सरकारी अस्पताल
ii. निजी से सरकारी अस्पताल
iii. निजी से निजी अस्पताल

iv. एक अस्पताल सहित स्टैंडअलोन इमेजिंग/डायग्नोस्टिक लैब केंद्र

D. कौन भाग नहीं ले सकता:

जो संस्थान पहले से ही एनएमसी पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं

संयुक्त प्रत्यायन हेतु अस्पताल की आधिकारिक संरचना

1. अस्पतालों का स्थान:

- संयुक्त प्रत्यायन प्रोग्राम में भाग लेने वाले दोनों अस्पताल **एक ही शहर में** और अधिमानतः एक दूसरे से 30 किमी के भीतर स्थित होंगे। वे संयुक्त रूप से आवेदन करेंगे और प्रशिक्षण आवश्यकताओं में एक-दूसरे की कमी को संयुक्त रूप से पूरा करेंगे।

- कार्यात्मक उद्देश्य हेतु, यह एकल प्रोग्राम होगा लेकिन प्रशासन के उद्देश्य हेतु, **एक संस्थान को प्राथमिक संस्थान के रूप में जाना जाएगा और दूसरे छोटे संस्थान को माध्यमिक संस्थान के रूप में माना जाएगा।**

2. बिस्तर की संख्या, केस लोड और संकाय की आवश्यकता:

- संयुक्त प्रत्यायन हेतु, **भाग लेने वाले दो अस्पतालों में से प्रत्येक के पास न्यूनतम 90 बिस्तर होने चाहिए यानी 90 बिस्तरों** से कम वाले अस्पतालों पर संयुक्त प्रत्यायन के उद्देश्य हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

- **भाग लेने वाले दोनों अस्पतालों के केस लोड और संकायों को एक साथ जोड़ दिया जाएगा** और भाग लेने वाले अस्पतालों को केस लोड, केस मिक्स और संकाय आदि के संदर्भ में एनबीईएमएस के न्यूनतम प्रत्यायन मानदंड को पूरा करना होगा।

- भाग लेने वाले दोनों अस्पतालों में कम से कम एक वरिष्ठ सलाहकार या एक कनिष्ठ सलाहकार होना चाहिए।

- संयुक्त प्रत्यायन हेतु न्यूनतम प्रत्यायन मानदंड अर्थात् बिस्तर की संख्या, पूर्णकालिक संकाय, केस लोड, संस्थागत आचार समिति और अन्य वही होंगे जो प्रत्यायन सूचना बुलेटिन में निर्दिष्ट किए गए हैं (कृपया नवीनतम सूचना बुलेटिन हेतु https://natboard.edu.in का संदर्भ लें)

3. अस्पतालों को कितने संयुक्त प्रत्यायन मिल सकते हैं, इसकी तालिका नीचे दी गई है।

मानदंड	टिप्पणियां
भाग लेने वाले दो अस्पतालों में से प्रत्येक के पास न्यूनतम 90 बिस्तर होने चाहिए यानी 90 बिस्तरों से कम वाले अस्पतालों पर संयुक्त प्रत्यायन के उद्देश्य हेतु विचार नहीं किया जाएगा।	क्रमशः 90 + 90 बिस्तरों वाले दो अस्पताल 1 संयुक्त प्रत्यायन हेतु यानी एक स्पेशलिटी में आवेदन कर सकते हैं।

1 संयुक्त प्रत्यायन हेतु 100 बिस्तरों की अनुमति दी जाएगी, यानी 190 बिस्तरों की सामूहिक क्षमता के साथ, एक से अधिक पर विचार किया जा सकता है।	क्रमशः 100 + 90 बिस्तरों वाले दो अस्पताल 2 प्रत्यायनों हेतु यानी दो स्पेशलिटी में आवेदन कर सकते हैं।
2 संयुक्त प्रत्यायन हेतु 150 बिस्तरों की अनुमति दी जाएगी, यानी, दो से अधिक प्रत्यायन हेतु न्यूनतम 240 बिस्तरों (150+90) की सामूहिक क्षमता पर विचार किया जा सकता है।	क्रमशः 150 + 90 बिस्तरों वाले दो अस्पताल 3 संयुक्त प्रत्यायनों हेतु यानी तीन स्पेशलिटी में आवेदन कर सकते हैं।
3 संयुक्त प्रत्यायन हेतु 200 और उससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों को अनुमति दी जाएगी अर्थात्, 3 से अधिक प्रत्यायन हेतु 290 बिस्तरों (200+90) की सामूहिक क्षमता पर विचार किया जा सकता है।	क्रमशः 200+ 90 बिस्तरों वाले दो अस्पताल 3 से अधिक संयुक्त प्रत्यायनों हेतु आवेदन कर सकते हैं।

4. प्रशिक्षण भत्ता:

- **प्रशिक्षण भत्ता दोनों संस्थानों द्वारा साझा किया जाएगा** यानी, यदि प्रशिक्षु संस्थान A में है, तो प्रशिक्षण भत्ते का भुगतान संस्थान A द्वारा किया जाएगा। इसी तरह, यदि प्रशिक्षु संस्थान बी में है, तो प्रशिक्षण भत्ते का भुगतान संस्थान B द्वारा किया जाएगा।

E. प्रोग्राम की निगरानी:

- **भाग लेने वाले दोनों अस्पतालों की एक ही संयुक्त शैक्षणिक समिति** होगी। यह समिति उम्मीदवार को प्रशिक्षण देने, प्रशिक्षण के रोटेशन और निगरानी के लिए उत्तरदायी होगी। संयुक्त शैक्षणिक समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:

  ❖ **संयुक्त शैक्षणिक समिति की संरचना:**
  उम्मीदवारों के प्रशिक्षण की निगरानी हेतु संयुक्त शैक्षणिक समिति की संरचना इस प्रकार है:

  - प्राथमिक संस्थान के प्रमुख
  - माध्यमिक संस्थान के प्रमुख
  - प्राथमिक संस्थान का एकल संपर्क बिंदु
  - माध्यमिक संस्थान का एकल संपर्क बिंदु
  - डीएनबी पाठ्यक्रम हेतु नोडल अधिकारी/डीएनबी समन्वयक

- इसके अलावा, एक नोडल अधिकारी होगा जो प्रशिक्षुओं के प्रत्यायन और प्रशिक्षण से संबंधित मुद्दों हेतु एनबीईएमएस के साथ समन्वय करेगा।

- एक **शिकायत निवारण प्रकोष्ठ** बनाया जाना चाहिए जिसमें दोनों संगठनों के समान सदस्य शामिल हों।

❖ **शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की संरचना/Composition of Grievance Redressal Cell:**
प्रस्तावित उम्मीदवारों की शिकायतों के निवारण हेतु शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की संरचना इस प्रकार है:

- **प्राथमिक संस्थान का प्रमुख – अध्यक्ष**
- **माध्यमिक संस्थान का प्रमुख**
- **इन-हाउस, वरिष्ठ सलाहकार, मेडिकल स्पेशलिटी विशेषज्ञता use, Senior Consultant, Medical Specialty**
- **इन-हाउस, वरिष्ठ सलाहकार, सर्जिकल स्पेशलिटी**
- **संयुक्त प्रत्यायन प्रोग्राम हेतु नोडल अधिकारी/डीएनबी समन्वयक**
- **अस्पताल के डीएनबी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि**
- **सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर रैंक के बाह्य चिकित्सा विशेषज्ञ**

- संयुक्त प्रत्यायन प्रोग्राम से उत्पन्न होने वाली शिकायतों का समाधान मुख्य रूप से भाग लेने वाले अस्पतालों की संयुक्त शैक्षणिक समिति और शिकायत निवारण प्रकोष्ठ द्वारा किया जाएगा।

- यदि मुख्य प्रत्यायित संस्थान अर्थात् प्राथमिक संस्थान, संयुक्त प्रत्यायन प्रोग्राम को जारी रखने में विफल रहता है, तो सभी रेज़िडेंट्स को एनबीईएमएस के दिशानिर्देशों के अनुसार स्थानांतरित (रिलोकेट) किया जाएगा। प्रोग्राम को जारी रखने में माध्यमिक संस्थान की विफलता के मामले में, प्राथमिक प्रत्यायित संस्थान मौजूदा प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण को पूरा करना सुनिश्चित करेगा और नए सहयोगी की पहचान होने तक किसी भी अन्य प्रशिक्षु को प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाएगा।

- **दायित्व, भाग लेने वाले दोनों संस्थानों का होगा और दोनों संस्थान के साथ-साथ एनबीईएमएस द्वारा हस्ताक्षरित अनिवार्य त्रिपक्षीय कानूनी समझौता होगा।**

- एनबीईएमएस के साथ पहले से ही प्रत्यायित विभाग/स्पेशलिटी संयुक्त प्रत्यायित प्रोग्राम में भाग नहीं ले सकते।

F. भौतिक मूल्यांकन/निरीक्षण:

संयुक्त प्रत्यायन हेतु आवेदन करने वाले दोनों अस्पतालों का निरीक्षण किया जाएगा। एक ही मूल्यांकनकर्ता एक ही दिन में दोनों अस्पतालों का निरीक्षण करेगा।

G. स्टैंडअलोन डायग्नोस्टिक केंद्रों और लैब हेतु न्यूनतम प्रत्यायन मानदंड:

- डीएनबी रेडियो डायग्नोसिस और डीएनबी पैथोलॉजी के लिए मौजूदा न्यूनतम मान्यता मानदंड स्टैंडअलोन केंद्रों के लिए लागू होने चाहिए।
- जिस अस्पताल के साथ स्टैंडअलोन पैथोलॉजी लैब या स्टैंडअलोन डायग्नोस्टिक केंद्र जुड़ा होगा, उसे क्रमशः डीएनबी पैथोलॉजी और डीएनबी रेडियो डायग्नोसिस हेतु मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
- अस्पताल में प्रशिक्षु की रोटेशनल पोस्टिंग प्रति वर्ष 03 महीने के लिए होनी चाहिए अर्थात् 03 वर्ष के प्रोग्राम की पूरी अवधि में 09 महीने।
- रोटेशनल पोस्टिंग के दौरान प्रशिक्षण भत्ता स्टैंडअलोन केंद्र द्वारा वहन किया जाएगा।

- स्टैंडअलोन सेंटर में कम से कम 02 पूर्णकालिक संकाय सदस्य होने चाहिए।

इच्छुक अस्पतालों/संस्थानों से संयुक्त प्रत्यायन योजना हेतु आवेदन जुलाई 2023 में आमंत्रित किए जायेंगे।

किसी भी प्रश्न/सहायता हेतु, आप एनबीईएमएस से कम्यूनिकेशन पोर्टल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इस पोर्टल पर एनबीईएमएस वेबसाइट https://natboard.edu.in पर **"Contact Us"** मेनू के तहत त्वरित लिंक **"Communication Web Portal"** के माध्यम से पहुंचा जा सकता है।

NBEMS

Click here to view English Version of this Public Notice